रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022020-216183
CG-DL-E-15022020-216183

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2020/माघ 25, 1941
No. 98] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 116(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्नियोजन) नियम 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्नियोजन) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्नियोजन) नियम 1979 के नियम 2 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु अल्पकालिक सेवा कमीशंड अधिकारी जो नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि के पूरा होने के पश्चात्, कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी अथवा सेवामुक्ती से अन्यथा सेवामुक्त किया गया है और जिसे कोई उपदान दिया गया है, भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति के लिए पात्र होगा।"

[फा. सं. 36034/1/2019-स्थापना (आरक्षण)]

सुजाता चतुर्वेदी, अपर सचिव

https://www.staffnews.in

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में सा.का.नि. संख्यांक 1530, तारीख 15 दिसंबर, 1979 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए:-

1. सा.का.नि. 973, तारीख 27 अक्टूबर, 1986:
2. सा.का.नि. 333(अ), तारीख 27 मार्च, 1987; और
3. सा.का.नि. 757(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2012

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2020

G.S.R. 116(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979, namely:–

1. Short title and commencement: -

(1) These rules may be called the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979, in rule 2, in clause (c) in sub-clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that Short Service Commissioned Officers released from service after completing initial terms of engagement otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency and have been given gratuity shall be eligible to the status of Ex-servicemen;"

[F. No. 36034/1/2019-Estt. (Res)]

SUJATA CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* G.S.R. 1530, dated the 15th December, 1979 and subsequently amended as follows:–

1. G.S.R. 973, dated 27th October, 1986;
2. G.S.R. 333(E), dated 27th March, 1987; and
3. G.S.R. 757(E), dated 4th October, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

https://www.staffnews.in